अस्वीकरण

1. इस रिपोर्ट में प्रकाशित सूचना को सभी राज्यों/संघ.शा.प्रदेशों की पुलिस, केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों/के.स.पु.बलों/के.पु.संगठनों से प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने डाटा का केवल संकलन और मिलान किया गया है। चूंकि डाटा राज्यों/सं.शा.प्रदेशों, केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों/ के.स.पु.बलों/के.पु.संगठनों से प्राप्त किया गया है, अतः एनसीआरबी इस सूचना की प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तथापि, इस रिपोर्ट में पाई गई किसी भी असंगति को ब्यूरो के संज्ञान में लाया जा सकता है।

सीमिततायें

1. चूंकि अपराध के वर्गीकरण के लिए यह प्रकाशन 'मुख्य अपराध नियम' का अनुपालन करता है, इसलिए प्रत्येक अपराध प्रमुख की वास्तविक गणना की रिपोर्ट में कमी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही प्राथमिकी मामले में दर्ज कई अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध को ही गिनती (अधिकतम सज़ा) की इकाई माना जाएगा। इसलिए, कुछ भा.द.सं./स्था.वि.का. मामलों की रिपोर्ट में कमी आने की संभावना है, क्योंकि वे प्रमुख भा.द.सं. अपराधों के तहत अदृष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बलात्संग के साथ हत्या को हत्या ही गिना जाता है; दहेज निषेध अधिनियम को जब दहेज-मृत्यु के साथ लागू (आईपीसी की बी 304) किया जाएगा तो इसे केवल दहेज मृत्यु के रूप में ही गिना जाएगा।
2. ब्यूरो सामाजिक-आर्थिक कारक घटकों या अपराध के कारणों को शामिल नहीं करता। इस प्रकाशन के लिए केवल पुलिस द्वारा दर्ज अपराध के मामलों को ही लिया जा रहा है।
3. राज्यों/सं.शा. प्रदेशों की अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध) को, 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2020 की संबंधित राज्यों/सं.शा. प्रदेशों से प्राप्त हुई मध्यवार्षिक अनुमानित जनसंख्या (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई 2020), का प्रयोग करते हुये प्राप्त किया गया है । हालांकि, यह महानगरों के संबंध में उपलब्ध नहीं है। महानगरों के लिए अपराध दर की गणना जनगणना 2011 के वास्तविक आँकड़ो का प्रयोग करके की गई है। इसलिए, राज्यों और महानगरों के अपराध दर की तुलना नहीं की जा सकती है।
4. बच्चों, अ.जा./अ.ज.जा. और वरिष्ठ नागरिकों के शीर्ष के तहत शहर-वार अपराधों के लिए अपराध दर' की गणना शहरों की जनसंख्या के उक्त समूहों के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण नहीं की गई है।
5. 'भारत में अपराध -2019' के प्रकाशन के लिये वांछित, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2019 के आँकड़े समय पर प्राप्त नहीं हुए थे और इसलिये राष्ट्रीय आँकड़ों एवं रुझानों को प्राप्त करने के लिये उक्त प्रकाशन में पश्चिम बंगाल के 2018 के आँकड़ों का उपयोग कर लिया गया था। 2019 के पश्चिम बंगाल के आँकड़े, जो गत वर्ष देर से प्राप्त हुए थे, अब इस प्रकाशन में, जहाँ भी उन आँकड़ो को शामिल करने की आवश्यकता हुई, उनका उपयोग कर लिया गया है।
6. केरल एवं छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से 'अध्याय 8सी- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के लिये आवश्यक वर्ष 2019 एवं 2020 के सत्यापित आँकड़े प्राप्त नहीं होने के कारण, वर्ष 2018 के लिए दिये गए आंकड़ों को ही राष्ट्रीय रुझान प्राप्त करने हेतु उपयोग कर लिया गया है।